(वाद संख्या–6078/18)

07.04.2021

परिवादी, बरती देवी, पति–स्व0 केदार शर्मा, उपस्थित है।

परिवादी की पुत्री गुड्डी कुमारी, कार्यालय परिचारी, लघु सिंचाई प्रमंडल, नवादा उपस्थित है।

परिवादी व उसकी पुत्री को सुना।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी के पति, केदार शर्मा, की सेवा काल में मृत्यु के उपरांत, अनुकंपा के आधार पर नियुक्त, परिवादी की पुत्री, गुड्डी कुमारी द्वारा अपनी माँ (परिवादी) का भरण–पोषण नहीं करने तथा भरण–पोषण हेतु अपनी पुत्री के वेतन से 25% राशि दिलाये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार से प्रतिवेदन की मांग की गयी। लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अपने प्रतिवेदन में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि परिवादी की पुत्री, गुड्डी कुमारी, की अपने पिता (परिवादी के पति) स्व0 केदार शर्मा, कोष रक्षक, लघु सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर के दिनांक–14.10.1999 को हुए मृत्यु के उपरांत, अनुकंपा के आधार पर, लघु सिंचाई प्रमंडल, मुंगेर में कार्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति की गयी है। बाद में परिवादी की पुत्री, गुड्डी कुमारी, दिनांक–17.07.2007 से लघु सिंचाई प्रमंडल, नवादा में कार्यरत है। विभाग द्वारा परिवादी की पुत्री, गुड्डी कुमारी, को अपनी माता, श्रीमति बरती देवी, को अपने साथ रखकर भरण–पोषण करने का निर्देश दिया गया है।

उक्त के आलोक में परिवादी की पुत्री, गुड्डी कुमारी, के द्वारा विभाग को सूचित किया गया कि उसकी माँ उसके साथ

रहने को तैयार नहीं है। तदोपरान्त परिवादी द्वारा अपनी पुत्री, गुड्डी कुमारी के वेतन से कुछ अंश दिलाये जाने संबंधी आवेदन पर विचार करते हुए अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, नवादा द्वारा 2,000/–/रुपये प्रतिमाह की दर से दिये जाने हेतु समझौता कराया गया, जिसका परिवादी की पुत्री द्वारा अब तक अनुपालन किया जा रहा है। जिस तथ्य को स्वयं परिवादी द्वारा भी राज्य आयोग के समक्ष स्वीकार किया गया है। परिवादी द्वारा अपनी पुत्री के वेतन के 25% की राशि अपने भरण–पोषण हेतु दिलाये जाने से संबंधित प्रार्थना को जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि परिवादी की पुत्री द्वारा अपनी माता को विभाग के आदेश के आलोक में भरण–पोषण हेतु 2,000/– रुपये की दर से प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है।

राज्य आयोग द्वारा परिवादी तथा उसकी पुत्री को राज्य आयोग के समक्ष बुलाकर समझौता का प्रयास किया गया। परिवादी की पुत्री का कथन है कि उसे करीब 34,000/– रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है तथा उस वेतन से वह अपने परिवार तथा सास–ससुर का भरण–पोषण करती है। इस महंगाई के दौर में उक्त 2,000/– रुपये से अधिक राशि भरण–पोषण हेतु अपनी माँ (परिवादी) को दिया जाना उसके लिए संभव नहीं है। परिवादी की पुत्री का यह भी कथन है कि उस पर काफी कर्ज भी है। परिवादी का यह भी कथन है कि उसकी माँ को पारिवारिक पेंशन के रूप में 11,000/–रुपये प्रतिमाह मिलता है तथा उसका अपना मकान भी है, जिसमें अभी वह रह रही है। प्रतिमाह भरण–पोषण हेतु 2,000/– रुपये की राशि जोड़ देने पर उसकी माँ को प्रतिमाह 13,000/– रुपये की आमदनी हो जाती है तथा एक बुढ़ी औरत को गाँव में अपने निजी मकान में रहकर 13,000/– रुपये में भरण–पोषण (गुजर–बसर) आराम से हो सकता है।

दुसरी तरफ परिवादी यह स्वीकार करती है कि उसे 11,000/– रुपये पारिवारिक पेंशन मिलता है तथा उसकी पुत्री द्वारा प्रतिमाह 2,000/– रुपये भरण–पोषण हेतु उसे दिया जाता है। उसका कथन है कि वह बीमार रहती है तथा उसे कोई पुत्र नहीं है। 13,000/– रुपये प्रतिमाह में उसका गुजर–बसर नहीं हो पाता है।

उभय पक्ष को सुनने के उपरांत **राज्य आयोग द्वारा मामले के सम्पूर्ण परिस्थितियों पर सम्यक् रूप से विचार करते हुए परिवादी को 01 अप्रैल, 2021 से प्रतिमाह परिवादी के पंजाब नेशनल बैंक, हिसुआ शाखा के बचत खाता सं0–0685000300546575 में हर उस माह के 10 तारीख के पूर्व 2,500/– रुपये प्रतिमाह की दर से अपनी माँ के भरण–पोषण हेतु दिये जाने का निर्देश दिया जाता है।**

उक्त निर्देश के साथ राज्य आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले को बंद किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश से परिवादी की पुत्री, श्रीमति गुड्डी कुमारी, कार्यालय परिचारी, लघु सिंचाई प्रमंडल, नवादा व कार्यपालक अभियंता, लधु सिंचाई प्रमंडल, नवादा को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुए परिवादी, बरती देवी को भी आदेश की एक प्रति सूचनार्थ उपलब्ध करा दी जाय।

**(उज्ज्वल कुमार दुबे)**
**सदस्य**

निबंधक